न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—रिछपाल सिह बुरडक आर0ए0एस0
अपील संख्या :—49/**2020**
अपीलान्टः—

1. सांवताराम पुत्र श्री जीवनराम जाति जाट, निवासी कालवा, तहसील मकराना जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :—

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मकराना।
2. पटवारी हल्का बोरावड तहसील मकराना जिला नागौर।

उपस्थित अधिवक्ता :—

श्री जयप्रकाश अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश एवं निर्णय दिनांक 17.09.2020 न्यायालय तहसीलदार मकराना अन्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2020 राजस्थान सरकार बनाम सांवताराम के विरूद्ध

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :—13.08.2021

{1} यह अपील विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार मकराना के प्रकरण संख्या 01/2020 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम सांवताराम निर्णय दिनांक 17.09.2020 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील मकराना में पटवारी हल्का बोरावड़ द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम बोरावड के खसरा नम्बर 56 किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि में अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 ने 0.3966 हैक्टर भूमि में से रकबा 0.1152 हैक्टर भूमि पर कांटो की बाड लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 91(2) राजस्थाना भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिस पर दिनांक 17.09.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली व जुर्माना एवं तीन मास के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिसे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी यह अपील पेश की है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

{3} (1) यह है कि निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{3} (2) यह है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध मौजा बोरावड के खसरा नम्बर 56 गैर मुमकिन रास्ता पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है जबकि रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिक्रमण कब किया गया ऐसा कोई अंकन नहीं किया व जॉच रिपोर्ट जो साथ पेश की गई उसमें भी मौके पर उपस्थित लोगो द्वारा यह बताया गया कि इस रास्ते के मध्य में पेड़ो की छरड़िया कांटे लगाकर रास्ता बन्द कर दिया है जो गणेशराम तिलोकराम व सांवताराम ने बन्द किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

मौके पर रास्ते के मध्य कांटे लगाकर बन्द पाया गया है, कि रिपोर्ट पेश की गई। परन्तु मौके पर किसी प्रकार का कोई नाप किया गया हो अथवा रास्ता कहा से कहा तक जाता है व रास्ता मौके पर चालू है अथवा नहीं इसका कोई अंकन नहीं किया गया व न ही मौके पर किसी प्रकार का कोई नाप करना मौका रिपोर्ट में अंकन है केवल मात्र मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि उपस्थित लोगो ने बताया कि इन लोगो ने कांटे लगाकर रास्ता बन्द कर दिया है, कितने भाग पर किस स्थान पर कब्जा किया गया इस संबंध में न तो मौका रिपोर्ट में कोई अंकन किया गया व रास्ते को किस हद तक बन्द किया गया इसका भी अंकन नहीं है व न ही ऐसा कोई नक्शा बनाकर पेश किया गया जिसमें यह दर्शित हो कि रास्ता की भूमि पर किसी ने अतिक्रमण किया है। मौके पर रास्ता चालू होने के अलामात है या नहीं इसका भी अंकन जांच रिपोर्ट में नहीं किया गया है इसलिए जांच रिपोर्ट अतिक्रमण के संबंध में कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं करती है व न ही ऐसी मौका रिपोर्ट के अनुसार किसी पश्चातवर्ती अतिक्रमी विधि अनुसार ठहराया जा सकता है। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}(3) यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में जो नोटिस जारी किया गया उसमें भी पूर्व बेदखली व पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई अंकन नहीं किया तथा न ही नोटिस में ऐसा कोई उल्लेख ही किया गया है तथा विधिवत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में विधि अनुसार रिपोर्ट के साथ पूर्व बेदखली की फर्द की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की जाना आवश्यक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

होती है साथ ही उसकी प्रति गैरसायल हो उपलब्ध करवाते हुए इस संबंध में जवाबदेही ली जाना साथ ही पटवारी हल्का के बयान लेकर उक्त बयानो से पूर्व बेदखली को साबित करवाया जाना आवश्यक होता है इसके अभाव में किसी प्रकार के पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है व न ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी ठहराया ही जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का से जिरह का किसी प्रकार का कोई अवसर ही दिया गया इसलिए बिना जिरह का अवसर दिये व बिना बयान लिये एवं पूर्व बेदखली की फर्द को साबित किये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमण विधि अनुसार नहीं ठहराया जा सकता है इसलिए अपीलार्थी/अप्रार्थी किसी भी प्रकार से पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नहीं होते हुए भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी ठहराकर तीन माह से दण्डित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}(4) यह है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है व न ही रास्ता की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है। मौके पर रास्ता पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से बन्द है मौके पर कभी रास्ता चालू रहा ही नहीं व न ही मौके पर रास्ते के कोई अलामात है मौके पर दर्ज रास्ते के पेरेलल नागौर बोरावड आम सड़क स्थित है इस कारण से मौके पर रास्ता कभी चालू रहा ही नहीं। यदि मौके पर मुस्तकिल मुटाम से नाम चौप किया जाता है तो सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इस संबंध में तहसीलदार जी से निवेदन भी किया गया परन्तु पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कभी भी कोई नाप चौप नहीं किया व बिना नाप चौप किये ही अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है जबकि

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के खेत के पास जो रास्ता रेकर्ड में दर्ज है उसके किसी भी भाग पर अपीलार्थी ने किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया व न ही अपीलार्थी ने कभी रास्ते को बन्द किया है व न ही अपीलार्थी की रास्ता बन्द करने की किसी प्रकार की मंशा है। मौके पर नाप को लेकर विवाद है यदि वास्तव में मौके पर मुस्तकिल मुटाम से नापकर रास्ता को शुरू से लेकर अन्त तक पूर्ण रूप से खोला भी जाता है तो अपीलार्थी को इस संबंध में किसी प्रकार का एतराज नहीं है व न ही अपीलार्थी ने रास्ता की भूमि का अवरोधित किया है। मौके पर नाप व सीव का विवाद है पड़ौसी खातेदार ने रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते को अपीलार्थी के खेत में कायम करने पर आमादा है इसी नीयत से बिना मौके पर नाप चौप व वास्तविक रिपोर्ट करवाये गलत रूप से बिना नाप चौप के रिपोर्ट करवाकर अतिक्मी ठहराने पर उतारू है ताकि रास्ता अपीलार्थी के खेत में कायम किया जा सके। इसी नीयत से सारी कार्यवाही की गई है। मौके पर रेकर्ड के अनुसार बताये गये स्थान पर कभी रास्ता नहीं रहा फिर भी अपीलार्थी उक्त रास्ता की भूमि पर न तो काबिज है व न ही अवरोध उत्पन्न किया है वह आज से करीब 50 वर्षो से अधिक समय के पहले की हुई है जिस पर बडे बडे पेड़ खड़े है जो कुछ ही दिनो में होना संभव नहीं है इसलिए मौके पर यदि रेकर्ड के अनुसार मुस्तकिल मुटाम के अनुसार नाप कर रास्ता को पूर्ण रूप से खुला किया जाता है तो अपीलार्थी/अप्राथी को किसी प्रकार का एतराज नहीं है इसके अभाव में रास्ता को लेकर विवाद कभी भी समाप्त होने की संभावना नहीं है इस संबंध में तहसीलदार जी से भी निवेदन किया गया परन्तु कोई नाप नहीं किया गया व बिना नाप चौप

अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना

किये व बिना मौके की जांच किये गलत रूप से आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}(5) यह है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी का पड़ौस में स्थित खेत की खातेदारी ने न तो अपीलार्थी/अप्रार्थी के नाम दर्ज है व न ही अपीलाथी/अप्रार्थी खातेदार है व न ही अपीलार्थी/अप्रार्थीा ने रास्ते के किसी भी भाग पर अतिक्रमण ही किया है फिर भी अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण बनाया गया है। बेदखली रिपोर्ट पर भी अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है इसलिए भी किसी भी प्रकार से अतिक्रमी व पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नहीं होते हुए भी गलत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}(6) यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/अप्रार्थी को समुचित साक्ष्य व सुनवायी का किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया क्योकि प्रकरण में आदेशिका के अवलोकन से भी यह पूर्णतया प्रकट होता है कि साक्ष्य सुनवायी व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा वर्तमान में कोरोना माहमारी के कारण लोक डाउन व अन्य सुनवायी चल रही है तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी निर्देश पारित किये गये जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि किसी भी पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लायी जावे व न ही पक्षकार के विरूद्ध किसी प्रकार का एडवर्स आदेश पारित किया जावे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेशो की पालना किये बिना ही गलत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर बिना साक्ष्य सुनवायी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

का अवसर दिये गलत रूप से आदेश पारित किया है जो निर्णय प्राक्रतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{4 } उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 24.09.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट्स की अपील को दिनांक 28.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2020 362 दिनांक 26.04.2021 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 17.09.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय, नकल पटवारी हल्का रिपोर्ट, बेदखली कार्यवाही रिपोर्ट, मौका जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन कि तहसीलदार मकराना द्वारा उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 17.09.2020 किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट/अप्रार्थी ने दिनांक 24.09.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अतः अपीलान्ट की अपील को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक की तिथि से एक माह की अवधि में अपील पेश कर दिये जाने से अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{6} बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध मौजा बोरावड के खसरा नम्बर 56 गैर मुमकिन रास्ता पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का आरोप लगया गया है जबकि रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिक्रमण कब, कितने भाग पर, किस स्थान पर किया गया, रास्ता चालू है अथवा नहीं, रास्ता कहॉ से कहा जाता है ऐसा कोई नाप/अंकन नहीं किया। मौका रिपोर्ट में केवल मात्र उपस्थित लोगो के कथन मात्र को आधार मानना विधि सम्मत नहीं होने से निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में जो नोटिस जारी किया गया उसमें भी पूर्व बेदखली व पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई अंकन या उल्लेख नही किया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्मण के संबंध में विधि अनुसार रिपोर्ट के साथ पूर्व बेदखली की फर्द की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की जाना व उसकी प्रति अपीलार्थी/अप्रार्थी को उपलब्ध करवाते हुए इस सम्बन्ध में जवाबदेही ली जाना आवश्यक होती है। प्रस्तुत प्रकरण पटवारी हल्का से बिना जिरह का अवसर दिये और पूर्वबेदखली की फर्द को बिना साबित किये अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्मी विधि अनुसार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए भी निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि मौके पर दर्ज रास्ते के समान्तर नागौर बोरावड़ आम सड़क स्थित है इसलिए मौके पर रास्ता पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से रास्ता बन्द है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलार्थी/अप्राथी का पड़ौस में स्थित खेत की खातेदारी में भी अपीलार्थी/अप्राथी की खातेदारी दर्ज नहीं है। तथा बेदखली रिपोर्ट पर भी अपीलार्थी/अप्रार्थी को बेदखल करना प्रमाणित नही है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को समुचित साक्ष्य व सुनवायी का किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया। कोराना माहमारी के दौरान माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी किसी भी पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाने के निर्देश पारित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

{7} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का बोरावड़ की रिपोर्ट जिसके अनुसार ग्राम बोरावड़ के खसरा नंबर 56 कुल रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 0.1152 हैक्टेयर भूमि अतिक्रमण किया हुआ है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिक्रमण हटाने का अधिकार है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा ग्राम बोरावड़ के खसरा नंबर 56 कुल रकबा 0. 3966 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 0. 1152 हैक्टेयर भूमि पर कांटो की बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया आदेशिका दिनांक 18.02.2020 के अनुसार जारी नोटिस अपीलान्ट/अप्रार्थी को विधिवत तामिल नहीं है। उक्त नोटिस जरिये चस्पानगी तामील कराया गया है लेकिन चस्पानगी की ताइद में दो मौतबिरान के हस्ताक्षर मय वल्दियत एवं पूर्ण पत्ते के नहीं है। पटवारी जांच रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिक्रमण कब किया गया ऐसा कोई अंकन नहीं है। अपीलान्ट द्वारा यह शपथ–पत्र भी पत्रावली पर पेश किया गया है कि मैने रास्ते पर जो कांटो की बाड़ बतायी गयी है उन्हें हटा लिया है तथा मौके पर रास्ते की भूमि पर आज दिन हमारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। तथा न ही हम भविष्य में उक्त रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करेगे। अतिक्रमण के मामले में सिविल कारावास की सजा एक कठोर सजा है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र पेश कर वर्तमान में अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किए जाने बाबत पाबन्द हुए हैं अतः अपीलार्थी/अप्राथी की और से प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए योग्य तहसीलदार के निर्णय दिनांक 17.09. 2020 के जरिये की गयी दोषसिद्धी एवं अर्थदण्ड को यथावत रखा जाना एवं सिविल कारावास की हद तक का आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

—:आदेशः—

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप में स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.09.2020 के जरिये की गयी दोषसिद्धी एवं अर्थदण्ड को यथावत रखा जाता है एवं सिविल कारावास की सजा की हद तक आदेश निरस्त किया जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)